जेसीबी इंडिया सीएसआर स्ट्रेटेजी और कार्य योजना

अप्रैल 2024 से मार्च 2025

इंट्रोडक्शन

यह डॉक्यूमेंट जेसीबी इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पहलों के तहत की जा रहे कार्य का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। इन इनिशिएटिव्स को कंपनी ऐक्ट, 2013 की अनुसूची VII, धारा 135 और उसके किसी भी आवश्यक अमेंडमेंट के साथ सटीक रूप से मिलाया गया है। कंपनी की सीएसआर जिम्मेदारियों को पूरा करने की कमिटमेंट कई प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स के रूप में प्रकट होती है, जो न केवल इसके सोशल वेलफेयर के प्रति डेडीकेशन को दर्शाती हैं बल्कि बदलते हुए नियामक ढांचों के प्रति इसकी रिस्पांसिवनेस को भी दर्शाती हैं।

गाइडिंग प्रिंसिपल्स

1. **कम्युनिटी–सेंट्रिक फोकस :** हमारी सीएसआर इनिशिएटिव्स कम्युनिटी की आवश्यकताओं और अरमानो को समझने पर आधारित हैं। हम उन कम्युनिटीज के कल्याण और विकास को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें हम काम कर रहे हैं।
2. **सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट :** हम उन प्रोजेक्टस के प्रति कमिटेड हैं जो लंबे समय तक पॉजिटिव इंपैक्ट उत्पन्न करती हैं। हमारे इनिशिएटिव्स पर्यावरण की स्थिरता के साथ बनाए गए हैं, ताकि पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिज़र्व्ड रखा जा सके।
3. **इंक्लूसिव इंगेजमेंट :** हम अपने सभी कार्यों में इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे प्रयासों से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो।
4. **सहयोग :** हम यह समझते हैं कि लोकल कम्युनिटीज, नोन–गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन (NGOs), और सरकारी संस्थाओं सहित सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग करना, सार्थक और स्थायी बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य और प्रोग्राम ओवरव्यू

हमारे सभी प्रोग्राम्स का मूल उद्देश्य कम्युनिटी के प्रति गहरी कमिटमेंट है। हम यह मानते हैं कि हमारे सभी प्रयासों का केंद्र कम्युनिटी होना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे काम की प्रेरणा हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के उद्देश्य से बने हैं और इनका लक्ष्य इन कम्युनिटीज को विभिन्न तरीकों से सशक्त करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो न केवल एनवीरोंमेन्टली सस्टेनेबल, बल्कि रेसिलिएंस और डाइवर्सिटी से भी युक्त हों।

हमारा कम्युनिटी के प्रति कमिटमेंट हमारे प्रोजेक्ट के डिजाइन और एक्सेक्यूटिव में झलकता है। हम कम्युनिटीज को ग्रीनर, समान, मजबूत और डाईवर्स बनाने पर फोकस करते हैं, और हमारी आशा है कि हम एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाएंगे, जो हर प्रोजेक्ट की सीमाओं से आगे बढ़े। इन प्रयासों के माध्यम से हम कम्युनिटीज को ऊपर उठाने, लास्टिंग चेंज लाने और रेस्पोंसिबल और परपोसेफुल कॉर्पोरेट इंगेजमेंट का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

सीएसआर प्रयास निम्नलिखित प्रोजेक्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंटेड किए जाएंगे:

1. साहित्य, कला और संस्कृति के समर्थन के माध्यम से भारत की कल्चरल लिगेसी का प्रिज़र्वेशन
   – यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज के विभिन्न पहलुओं को अपलिफ्ट, प्रोटेक्ट, और प्रमोट करना है, जिसमें लिटरेचर, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और विभिन्न प्रकार के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को प्रोटेक्ट करने की एक कमिटमेंट के साथ, यह प्रोजेक्ट उस अनमोल हेरिटेज को सस्टेन रखने का प्रयास करती है जो भारत के इतिहास को आकार देती हैं और जो इसकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बनी रहती हैं।
   - नेचुरल फाइबर्स, हैंडमेड टेक्सटाइल और नेचुरल डाइज पर फोकस करते हुए ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स को प्रिज़र्व करना ।
   - परफार्मिंग आर्ट्स और कंटेम्पररी आर्ट्स सहित कल्चरल हेरिटेज के लिए समर्थन को बढ़ावा देना।
   - टाइम, लैंग्वेजेज और मीडियम के माध्यम से इंडियन कल्चरल हेरिटेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाना।
2. कम्युनिटीज को सस्टेनेबल और सामाजिक परिवर्तन के लिए सशक्त बनाना – एक प्रयास जो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। इकनोमिक ओप्पोर्तुनिटीज और सोशल वेलफेयर के आपसी संबंध को पहचानते हुए, यह प्रोजेक्ट कमजोर लोग, विशेष रूप से महिलाओं को उठाने के लिए एक होलिस्टिक एप्रोच अपनाती है और उनके जीवन की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ–साथ एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है।
   - समान शिक्षा की सुविधा प्रदान करना
   - इकनोमिक एम्पावरमेंट के लिए कम्युनिटीज का समर्थन करना
   - इकोलॉजिकली कॉन्ससियस कम्युनिटीज को बढ़ावा देना

इम्प्लीमेंटेशन

1. बजट एलोकेशन : सीएसआर बजट, जिसे कंपनी ऐक्ट, 2013, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं कंपनी द्वारा बनाए गए सीएसआर नीति के अनुसार निर्धारित किया गया है, सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा एप्रूव्ड सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च किया जाएगा।

   नोट

   - पहले के वर्षों से बिना खर्च किए गए बजट का उपयोग इस और सब्सीक्वन्ट फाइनेंशियल वर्षों में किया जाएगा।

फाइनेंशियल वर्ष 2024–25 के लिए प्रस्तावित सीएसआर बजट (सभी मूल्य मिलियन रुपये में)

	साहित्य, कला और संस्कृति समर्थन के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रिज़र्वेशन	टिकाऊ और सामाजिक परिवर्तन के लिए समुदायों को सशक्त बनाना	कुल (मिलियन रूपये)
फाइनेंशियल वर्ष 24 से	**57**	**60**	**117**

अन्स्पेन्ट			
बजट फाइनेंशियल वर्ष 24–25	238	170	408
कुल	295	230	525

- **फाइनेंशियल वर्ष 24 से अन्स्पेन्ट राशि को नई परियोजनाओं के लिए रीलोकेटेड किया जाता है।**
- **बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया गया है, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 5% है।**

2. **प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन का तरीका**

   कंपनी निम्नलिखित सीएसआर प्रोजेक्ट्स को अन्डर्टेक करेगी:

   - लेडी बैमफोर्ड फाउंडेशन (कंपनी ऐक्ट 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड)
   - लेडी बैमफोर्ड चौरिटेबल ट्रस्ट (इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट के तहत एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड)
   - जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन (धारा 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड)

   और अन्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी (एजेंसियाँ), जैसा कि नियम 4 (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पालिसी) नियम, 2014 के उप–नियम 1 में उल्लिखित है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन्स शामिल हैं।

3. **प्रोजेक्ट सिलेक्शन :** प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कठोर आवश्यकताओं के असेसमेंट और हमारी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है। प्रोजेक्ट्स सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को सुनिश्चित किया जाता है।
4. **मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन:** सभी प्रोजेक्ट्स की इफेक्टिवनेस और परिणामों को असेस करने के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क लागू है। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर के तहत दिए गए फण्ड का उपयोग उसी उद्देश्य और तरीके में किया गया है, जिसे उन्होंने एप्रूव्ड किया है।

सीएसआर कमिटी, एप्रूव्ड टाईमलाईन और ईयर वाइज एलोकेशन के अनुसार, प्रोजेक्ट की जांच करेगी, और समय–समय पर कंपनी ऐक्ट 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सीएसआर से संबंधित पॉलिसी का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, सीएसआर कमिटी प्रोजेक्ट के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए सक्षम होगी, बशर्ते यह समय सीमा के भीतर हो।

सीएसआर इनिशिएटिव और एक्टिविटीज की प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से सीएसआर कमिटी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर फाइनेंशियल वर्ष के किसी भी समय इस योजना में उचित कारणों के साथ परिवर्तन कर सकते हैं।